संख्या-17-2025-डीएफए- 1245750-38-6099-99-47-2025

प्रेषक

जयनाथ यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।

4- समस्त कार्यक्रम समन्वयक/समस्त खण्ड विकास अधिकारी,उ0प्र0 (द्वारा मुख्य विकास अधिकारी)

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 17-09-2025

विषय- सूचना विभाग के शासनादेशों के अनुरूप मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का विज्ञापन कराये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास,उ0प्र0 के पत्र संख्या-3060/स्था0प्र0/2025, दिनांक 27-08-2025 एवं उसके साथ संलग्न सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के शासनादेश संख्या-123/उन्नीस-2-1007/74(टीसी), दिनांक 14-04-1988, पत्र संख्या-76/उन्नीस-2-91-1007/74(टीसी), दिनांक 24-01-1991, पत्र संख्या-762/उन्नीस-2-2001-1007/74(टीसी), दिनांक 11-06-1993, पत्र संख्या-335/उन्नीस-2-1007/74(टीसी), दिनांक 07-06-2001 पत्र संख्या-562/उन्नीस-2-2007-1007/74(टीसी), दिनांक 04-07-2007, पत्र संख्या-82/उन्नीस-2-2008-1007/74(टीसी), दिनांक 28-01-2008 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में निविदा प्रकाशन हेतु विज्ञापन मान्यता एवं वितरण प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त-2003 (समस्त शासनादेशों की छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

http://gnasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कदाचित प्रदेश के जनपदों में सूचना विभाग के शासनादेशों की जानकारी न होने से शासन की मंशानुरूप मनरेगा कार्यों से संबंधित कार्यों की निविदायें प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। कृपया सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेशों में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मनरेगा कार्यों हेतु निविदा प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

जयनाथ यादव
विशेष सचिव।

संख्या-17-2025-डीएफए- 1245750-38-6099-99-47-2025तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त,ग्राम्य विकास,उ0प्र0लखनऊ।
2- समस्त परियोजना निदेशक/समस्त उपायुक्त (श्रम रोजगार)उ0प्र0।
3- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जयनाथ यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in